भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2154

गुरुवार, 10 मार्च, 2016/ 20 फाल्गुन, 1937 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण

2154. श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ हिना विजयकुमार गावीत:

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:

श्री राजीव सातव:

श्री धनंजय महाडीक:

श्री प्रेम दास राई:

डॉ सुनील बलीराम गायकवाड़:

श्री राहुल शेवाले:

डॉ जे. जयवर्धन:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री गजानन कीर्तिकर:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री दुष्यंत चौटाला:

डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:

श्री एस. आर. विजय कुमार:

श्री टी. राधाकृष्णन:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण और ऑनलाइन टैग रीचार्ज भुगतान सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में बैंकों/निजी कंपनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्मार्ट कार्ड उपयोग करने वाले राजमार्ग यात्रियों को पथकर प्रभार अदा करने पर रियायत दिए जाने की सम्भावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्मार्ट कार्ड की बिक्री कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) पथकर प्लाजाओं पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) से (घ): जी, हां । सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रानिक पथकर संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली कार्यान्वित कर रही है । इस प्रयोजनार्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अखिल भारत आधार पर सेन्ट्रल क्लीयरिंग हाउस (सीसीएच) सेवा प्रदाताओं, आरएफआईडी टैग निर्गतकर्त्ताओं और प्लाजा अधिग्रहणकर्त्ताओं की नियुक्ति करने के लिए एनएचएआई द्वारा प्रवर्तित एक कम्पनी, भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कम्पनी लि. (आईएचएमसीएल) को अधिकार-पत्र प्रदान किया है । आईएचएमसीएल ने सेन्ट्रल क्लीयरिंग हाउस सेवाएं प्रदान करने और टैग निर्गत करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और ऐक्सिस बैंक को नियुक्त किया था । बाद में आईएचएमसीएल ने ईटीसी की वास्तु संरचना को बढ़ाने और उसकी पुनर्मरम्मत के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों के बीच अंतर प्रचालनीयता प्रदान करने, मानकों को परिभाषित करने, मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा लेन-देन क्लीयरिंग व समाधान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए टर्नकी सेवा प्रदाता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को नियुक्त किया है । सरकार 'फास्टैग' प्रयोक्ताओं को छूट देने पर विचार कर रही है ।

******